



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एंड पी.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 705 दि. 24.6.08

आदेश

विषय: उपभोक्ताओं की बिजली से सम्बन्धित सभी समस्याओं की त्वरित समाधान के लिये हर मंगलवार को "बिजली चौपाल".

उपभोक्ताओं द्वारा समय-समय पर बिजली सम्बन्धी, बिजली के बिलों इत्यादि की शिकायतों की जाती रही है। इस तरह की शिकायतों के समाधान हेतु पूर्व से ही "उपखण्ड स्तरीय कमेटी" एवं "वृत्त स्तरीय कमेटी" का गठन किया हुआ है। "उपखण्ड स्तरीय कमेटी" की प्रत्येक माह की 10 तारीख को एवं "वृत्त स्तरीय कमेटी" की प्रत्येक माह की 20 तारीख को बैठकें रखी जाती हैं। इन कमेटियों में विद्युत कर्मियों के साथ-साथ अन्य "जन-प्रतिनिधी" एवं "तहसीलदार" भी आमंत्रित होते हैं।


उपरोक्त कमेटियों की बैठकों के अतिरिक्त विद्युत निगम द्वारा हर मंगलवार को सहायक अभियन्ता क्षेत्र के 33/11 केवी सब स्टेशन पर "बिजली चौपाल" का आयोजन किया जायेगा। इसमें उपभोक्ताओं की बिजली के बिलों से सम्बंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जायेगा।

इसके लिये उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के सहायक अभियन्ता के फोन नम्बर पर सम्पर्क करना होगा एवं समस्या का शीघ्र समाधान होगा। समस्या का समाधान होने तक विलम्ब शुल्क नहीं देना पड़ेगा और कनेक्शन भी नहीं कटेगा।

चौपाल का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा:-

- प्रत्येक मंगलवार सहायक अभियन्ता क्षेत्र के एक 33/11 केवी सब-स्टेशन पर शिकायतों के मौके पर ही निवारण के लिये चौपाल आयोजित होगी।
- चौपाल में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता और अन्य कर्मचारी सम्बंधित रिकार्ड के साथ उपस्थित रहेंगे।
- ऐसी चौपालों में महिने में एक बार अपने-अपने क्षेत्र में अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा संभागीय मुख्य अभियन्ता भाग लेंगे।

आज्ञा से


(एम.एस. फगेरिया)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
पेज 02 का 01

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / जालोर / चूरु / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ / बीकानेर / सिरोंही / जैसलमेर।
- डायरेक्टर (फाईनेन्स), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को राज्य सरकार से पुर्नभरण प्राप्त करने हेतु।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/ पीपीएम / एम.एण्डपी / बी.एफ.एल./विजीलेन्स/ एमएमसी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर /श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़ /जैसलमेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिया संलग्न।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सहायक अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं)।
- माननीय श्री (सांसद/विधायक/जिला प्रमुख)।

ओ.ए.
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर